न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील सं0 01/2021

1. महेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति जाट साकिन बनवाली तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा दिनांक 14.12.2020

उपस्थितः– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता, अपीलांट

राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय **दिनांकः– 16.02.2022**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

1. अपीलकृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. रामेश्वरी देवी पत्नी डालसिंह जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा ने जरिये बैयनामा दिनांक 17.12.2012 को रोही मौजा शेरड़ा तहसील भादरा जमांबदी के खाता स0 351/96 के ख0न0 782/2 की कुल 2.8200 हैक्टयर खरीद की थी एवं जरिये बैयनामा दिनांक 20.12.2012 को रोही मौजा कलाना तहसील भादरा जमाबंदी के खाता स0 5/4 के ख0न0 489 की 8.4630 हैक्टयर भूमि में से 1.13854 हैक्टयर भूमि खरीद की थी जिसकी अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 13.02.2013 को उप पंजियक भादरा की अदालत में अपने पोतिया जवाई महेन्दसिंह पुत्र महावरीसिंह जाति जाट साकिन बनवाली तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा) के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी रामेश्वरी देवी पत्नी डालसिंह जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा का दिनांक 13.03.2017 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत रामेश्वरी देवी पत्नी डालसिंह जाति जाट साकिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की अदालत में अपने पोतिया जवाई महेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति जाट

जोगीवाला तहसील भादरा महेन्द्रसिंह पुत्र महावीर सिंह जाति जाट साकिन बनवाली तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा) विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हुए इसलिए मुताबिक वसीयत दिनांक 13.02.2013 के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के लिए तहसीलदार (भू0अ0) भादरा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई दिनांक 14.12.2020 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो कि मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी स्थिति का गहन अवलोकन नहीं किया कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत किसी के पक्ष में की जा सकती है ना ही उपनिवेशन अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि राजस्थान के काश्तकार द्वारा हरियाणा के व्यक्ति को वसीयत नही की जा सकती उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।

4. अपीलांट ने मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने के लिए पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिस पर पटवारी हल्का रिपोर्ट में दर्ज किया है कि विवादित भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि है एवं किसी प्रकार का विवाद एवं स्थगन आदेश नहीं है एवं साक्ष्य में वसीयत के गवाहों के बयान करवाये जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को भलीभांति साबित किया उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

5. मातहत अदालत में विवादित भूमि एवं वसीयत बाबत् कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई कानूनी स्थिति के मुताबिक जहां स्वीकृति हों वहां स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिये था मातहत अदालत ऐसा नहीं कर विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।

6. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि विवादित भूमि की वसीयत राजस्थान के काश्तकार द्वारा हरियाणा के व्यक्ति को की गई है जो उपनिवेशन अधिनियम के तहत अवैध हस्तान्तरण का प्रकरण लगता है उक्त तथ्यों के आधार मानकर निर्णय किया है जबकि कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत, वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा है, जो अपने नाम दर्ज खातेदार भूमि की किसी के भी पक्ष में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वसीयत कर सकता है वसीयत पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है इसलिए मुताबिक वसीयत विवादित भूमि को अपीलांट के नाम अमल दरामद करने का आदेश जारी करना चाहिये था उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने बिना किसी ठोस आधार के सम्भावना के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

7. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।
8. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नही है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।
9. अपीलांट को पत्रावली में तारीख पेशी नहीं दी गई थी गुपचुप तरीके से दिनांक 14.12.2020 को निर्णय कर दिया लेकिन अपीलांट ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसे कानूनी प्रकिया की कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 29.01.2021 को तहसील में पत्रावली की जानकारी प्राप्त की तो निर्णय होने की जानकारी हुई उसी समय नकल प्राप्त कर बिना किसी देरीना के तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 14.12.2020 निरस्त कर प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार कर विवादित भूमि मुताबिक वसीयत दिनांक 13.02.2013 के आधार पर अपीलांट के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार (भू.अ.) भादरा को फरमावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो कि गलत किया है। वसीयतकर्ता द्वारा स्वअर्जित सम्पति की वसीयत की गई है। वसीयत किसी को भी की जा सकती है। वसीयत विकय की श्रेणी में नही आती है। अधिवक्ता अपीलांट ने DNJ 2008 पेज न0 व 73, RT ACT धारा 39 पेज न0 118 से 121 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 31 मार्च 2008 अनवान के. के. बिड़ला बनाम राजेन्द्र सिंह लोढ़ा व अन्य आदि न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में त्रूटि की है एवं अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (भू.अ.), भादरा दिनांक 14.12.2020 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए तीन माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय की प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.02.2022

(भागीरथ धारण RAS)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर(हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)